

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03062020-219695
SG-DL-E-03062020-219695

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]	दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2020/ज्येष्ठ 11, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 29
No. 96]	DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2020/JYAISTHA 11, 1942	[N.C.T.D. No. 29

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली 1 जून 2020

सं. 08/2019-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(4)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डी.एस.-VI/167.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, संख्या सं० फा० 03(15)/वित्त(राज०-I)/2017-18/डीएस-VI/382 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या. 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III-9% में, कॉलम (1) में क्रम संख्या 452P और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)
"452Q	कोई अध्याय	आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले

	पूँजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर सं.फा. 3(74)/वित्त(राजस्व-I)/2019-20/डी.एस. VI/498, दिनांक 22.10.2019 अधिसूचना सं०. 7/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 22.10.2019 में यथा निर्धारित, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा 4 के अंतर्गत माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो । स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य से— (i) “प्रमोटर” शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो । (ii) “प्रोजेक्ट” से अभिप्राय: किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है । (iii) “रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)” का वही अभिप्राय: होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो । (iv) “रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)” का अभिप्राय: उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो । (v) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं ।
--	--

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-VI (वित्त)

नोट :- प्रधान अधिसूचना सं०. 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 संख्या फा0 3(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/382 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित की गई और संख्या सं० फा0 03(24)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/388 दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित अधिसूचना सं०. 24/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 03 सितम्बर, 2019 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2020

No. 08/2019- State Tax (Rate)

No. F.3(4)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-VI/167.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub- section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in Schedule III - 9%, after serial number 452P in column (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub-section 4 of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), as prescribed in notification No. 07/2019-State Tax (Rate), dated 22/10/2019, published in Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(74)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/498, dated 22/10/2019. <i>Explanation.</i> For the purpose of this entry,— (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note : The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 24/2018-State Tax (Rate), dated the 3rd September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(24)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/388, dated the 3rd September, 2019.